

प्रेषक,

मो० सलीम,  
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पटना/मुजफ्फरपुर/वैशाली(हाजीपुर)/सीवान/समस्तीपुर/औरंगाबाद/  
भोजपुर(आरा)/सारण/सुपौल/अररिया/बक्सर/गोपालगंज/  
नवादा/नालन्दा(बिहारशरीफ)/सीतामढ़ी/कैमुर(भभुआ) ।

पटना, दिनांक :-

6-6-16

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-  
26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी  
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में  
चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2016-17 में 31 जुलाई 2016 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर  
दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर  
की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

| क्र० सं० | जिला का नाम | मृतक मजदूरों की संख्या | प्राथमिक इकाई                                   | आवंटित राशि           | अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)  |
|----------|-------------|------------------------|---|-----------------------|--|
| 1        | 2           | 3                      | 4   | 5                     | 6  |
| 1        | पटना        | 03                     | 31-06<br>सहायक<br>अनुदान<br>वेतनादि के<br>अलावा | 300000/-<br>(तीन लाख) | जिला पदाधिकारी, पटना के स्वीकृत्यादेश सं०-790,788, एवं 792, तीनों दिनांक-16.03.15 के संदर्भित श्रम अधीक्षक, पटना का पत्रांक-1461, दिनांक-15.05.15 के आलोक में (1) स्व० सुनील साव उर्फ दिलिप साव, आश्रित-मो० सुची देवी (पत्नी), ग्राम+पो०-महजपुरा, था०+अंचल-विक्रम, जिला-पटना (2) स्व० अशोक कुमार पाण्डेय, आश्रित-मो० दुर्गावती देवी(पत्नी), ग्राम-उदयपुर, पो०-अंकुरी, थाना+अंचल-पालीगंज, जिला-पटना एवं (3) स्व० सन्तोष कुमार, आश्रित-श्री कपिलदेव ठाकुर (पिता), ग्राम-सिकन्दरपुर(मखमलीपुर),थाना-पालीगंज, अंचल-विक्रम, जिला- पटना के भुगतान हेतु। |
| 2        | मुजफ्फरपुर  | 02                     | तदैव  | 200000/-<br>(दो लाख)  | सहायक निदेशक, जिला-सामाजिक सुरक्षा कोषांग का अभिलेख सं.-7/2015-16 एवं 8/2015-16 के आलोक में (1) स्व० प्रिय रंजन कुमार, आश्रित-मु० बबीता देवी (पत्नी), ग्राम-जटौलिया, था०-बरुराज, प्रखण्ड-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर एवं (2) स्व० असगर अली, आश्रित-मु० नैमा खातुन (पत्नी), ग्राम-परसैनी नाथ, पो०-रामपुर, मीना थाना-बरुराज, प्रखंड-मातीपुर जिला-मुजफ्फरपुर के भुगतान हेतु ।  |

|   |                     |    |      |                       |  |
|---|---------------------|----|------|-----------------------|--|
| 3 | वैशाली<br>(हाजीपुर) | 04 | तदैव | 400000/-<br>(चार लाख) | जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) के ज्ञापांक-372, दिनांक-25.02.16 एवं 394, दिनांक-02.03.16 एवं पत्रांक- 60, 62 दिनांक-06.01.16 के आलोक में (1) स्व. सिन्दुलाल ठाकुर, आश्रित-मु. रिम्मी देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-बेलसर, प्रखण्ड-पटेढी बेलसर, जिला-वैशाली (2) स्व. शिव प्रसाद सहनी, आश्रित-मु. रीना देवी (पत्नी), ग्राम-महिपुरा, थाना+प्रखण्ड-जन्दाहा, जिला-वैशाली (3) स्व. अमोद कुमार, आश्रित मु. किरण देवी (पत्नी), ग्राम-रामपुर बखरा, पोस्ट-जारंग, थाना-भगवानपुर, प्रखण्ड-लालगंज, जिला-वैशाली, (4) स्व. हरदेव शर्मा, आश्रित-मु. सुनीता देवी (पत्नी) ग्राम+पोस्ट-डभैच्च, थाना-तिसिऔता, प्रखण्ड-पातेपुर, जिला-वैशाली के भुगतान हेतु। |
| 4 | सीवान               | 04 | तदैव | 400000/-<br>(चार लाख) | जिला पदाधिकारी, सीवान का ज्ञापांक-04/श्र.सं दिनांक-05.01.2016, एवं 112, 114, 117 तीनों दिनांक-29.02.2016 के आलोक में (1) स्व. विक्रमा सिंह, आश्रित सविता देवी (पत्नी), ग्राम-हरदोवारा, पो. बभनबारा, थाना+प्रखण्ड-बड़हरिया, जिला-सीवान (2) स्व. हीरालाल राय, आश्रित-सुमीता देवी (पत्नी), ग्राम-सुर्यपुरा, पो.किशुनपुरा, थाना+प्रखण्ड-बसंतपुर, जिला-सीवान (3) स्व. तारकेश्वर राय, आश्रित-रीना देवी (पत्नी), ग्राम-सुर्यपुरा, पो.किशुनपुरा, थाना+प्रखण्ड-बसंतपुर, जिला-सीवान (4) स्व. मिथलेश राय, आश्रित-सरिता देवी (पत्नी), ग्राम-सुर्यपुरा, पोस्ट-किशुनपुरा, थाना+प्रखण्ड-बसंतपुर, जिला-सीवान के भुगतान हेतु।                         |
| 5 | समस्तीपुर           | 03 | तदैव | 300000/-<br>(तीन लाख) | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, समस्तीपुर ज्ञापांक-246/श्र.सं. दिनांक-22.02.16 एवं जिलाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-206, एवं 207 दिनांक-04.02.16 के आलोक में (1) स्व. रामलखन मंडल, आश्रित-गीता देवी(पत्नी), ग्राम-फतेहपुर, पंचायत-मोतिपुर, थाना+प्रखण्ड-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर (2) स्व. दिनेश महतो, आश्रित ललिता देवी, (पत्नी), ग्राम+ पोस्ट-कुसैया, थाना+प्रखण्ड-वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर, (3) स्व. सुभाष कुमार, आश्रित प्रतिभा देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-डुमरामोहन, थाना-हथौडी, प्रखण्ड-शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु।   |
| 6 | औरंगाबाद            | 02 | तदैव | 200000/-<br>(दो लाख)  | जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्रांक-182, दिनांक-04.03.2016 एवं पत्रांक-158 दिनांक-22.02.2016 के आलोक में (1) स्व. राम प्रगास चौधरी, आश्रित समपुरन देवी (पत्नी), ग्राम+पो.ईटवा, थाना+प्र.हसपुरा, जिला-औरंगाबाद (2) स्व. धर्मदेव यादव, आश्रित हेमलता सिन्हा (पत्नी), ग्राम-डहरू बिगहा, पो.तुर्क तेलपा, थाना-उपहारा, प्रखण्ड-गोह, जिला-औरंगाबाद के  |

|    |                 |    |      |                       |  |
|----|-----------------|----|------|-----------------------|--|
| 7  | भोजपुर<br>(आरा) | 01 | तदैव | 100000/-<br>(एक लाख)  | जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक-241, दिनांक-28.03.2016 के आलोक में स्व. संतोष कुमार सिंह, आश्रित-शोभा देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-शिवपुर, थाना-धनगाई, प्रखण्ड-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर के भुगतान हेतु।  |
| 8  | सारण            | 01 | तदैव | 100000/-<br>(एक लाख)  | जिला पदाधिकारी सारण का पत्रांक-259/श्र.सं. दिनांक-20.04.16 के आलोक में स्व. संतोष कुमार सिंह, आश्रित-मो. अनिता देवी (पत्नी), ग्राम-छोटकी धूरापाली, पो. धूरापाली, थाना-रसूलपुर, प्रखण्ड-एकमा, जिला-सारण के भुगतान हेतु।   |
| 9  | सुपौल           | 01 | तदैव | 100000/-<br>(एक लाख)  | जिला पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक-सं.सं- 14-2/श्र.अं.का. सुपौल, दिनांक-04.05.2016 के आलोक में स्व. मजारूल, आश्रित, मसो. जरीना खातुन (पत्नी), ग्राम-वीरपुर, वार्डनं.-08, मस्जिद रोड, पो. +था. -वीरपुर, प्रखण्ड-वसंतसपुर जिला- सुपौल के भुगतान हेतु।  |
| 10 | अररिया          | 01 | तदैव | 100000/-<br>(एक लाख)  | जिला पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक-90/सा. सु. अररिया, दिनांक-05.02.16 के आलोक में स्व. गुफरान, आश्रित मुर्शीद (पिता), गा. -बलुआ, पो. -कुर्सेल, था. -महलगाँव, प्र. -जोकीहाठ, जिला-अररिया के भुगतान हेतु।  |
| 11 | बक्सर           | 03 | तदैव | 300000/-<br>(तीन लाख) | जिला पदाधिकारी बक्सर के पत्रांक-386, दिनांक-12.08.15, 116, दिनांक-13.03.2015 एवं 73, दिनांक-10.02.2015 के आलोक में (1) स्व. देवेन्द्र नाथ राय आश्रित मु. सुनिता देवी (पत्नी), सा. दक्षिण टोला, डुमराँव, वार्ड नं.-26 पो. +प्र. +था. -डुमराँव, जिला-बक्सर (2) स्व. मनोज चौधरी, आश्रित अनिता देवी (पत्नी), गा. -डिहरी, था. -राजपुर, प्र. -चौसा, जिला-बक्सर (3) स्व. कलीम अंसारी, आश्रित मु. लैला बेगम (पत्नी), गा. -मुसाफिरगंज, था. -बक्सर नगर, जिला-बक्सर के भुगतान हेतु। |
| 12 | गोपालगंज        | 03 | तदैव | 300000/-<br>(तीन लाख) | जिला पदाधिकारी गोपालगंज का पत्रांक-745, 747, दिनांक-16.12.15 एवं 723, दि. 07.12.15 के आलोक में (1) विपुल तिवारी, आश्रित योगेन्द्र तिवारी (पुत्र), गा. -पोखरभिडा, पो. -जगरनाथा, था. +प्र. -उचकागाँव, जिला-गोपालगंज (2) ब्रिजेश मिश्र, आश्रित भागमणि देवी (पत्नी), गा. +पो. -महरानी, प्र. -बैकुण्ठपुर, था. -महम्मदपुर, जिला-गोपालगंज एवं (3) मो. कासिम मिया, बतुलन बेगम (पत्नी), गा. -हिम्मतपुर, पो. -सुरहिया, था. + प्र. -सिधवलिया, जिला-गोपालगंज के भुगतान हेतु।         |
| 13 | नवादा           | 01 | तदैव | 100000/-<br>(एक लाख)  | जिला पदाधिकारी, नवादा का पत्रांक-668, दि. -22.12.15 के आलोक में (1) स्व. दीपक कुमार, आश्रित सकुन्ती देवी एवं जानकी मिस्त्री (माता-पिता), गा. +पो. -हरदिया, था. +प्र. -रजौली, जिला-नवादा के भुगतान हेतु।  |

|    |                 |    |      |                           |   |
|----|-----------------|----|------|---------------------------|---|
| 14 | नालन्दा         | 01 | तदैव | 100000/-<br>(एक लाख)      | नालन्दा समाहरणालय (बिहारशरीफ), श्रम अधीक्षक, कृ. श्र., का कार्यालय आदेश सं.-01 दिनांक-28.01.2015 के आलोक में (1) स्व. नदीम अशरफ रफत जहां एवं अरशद अशरफ (माता पिता), पता-कागजी मुहल्ला, वार्ड नं.-17, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा के भुगतान हेतु ।  |
| 15 | सीतामढ़ी        | 02 | तदैव | 200000/-<br>(दो लाख)      | जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-854 एवं 717, क्रमशः दि.-28.08.15 एवं 14.07.15 के आलोक में (1) स्व. रतनेश कुमार, आश्रित-फूलन देवी, (माता), ग्रा०+पो०-वाचोपट्टी नरहा, जिला-सीतामढ़ी (2) स्व. सुरेन्द्र सिंह, आश्रित- मसो० रंजू देवी, (पत्नी), ग्रा०-बराहीचिन्तामन, पंचायत-कोठिया राय, प्रखण्ड-सूपी, जिला-सीतामढ़ी के भुगतान हेतु ।   |
| 16 | कैमूर<br>(भभुआ) | 04 | तदैव | 400000/-<br>(चार लाख)     | जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) का पत्रांक-542, दि.-20.08.15 के आलोक में (1) स्व. त्रिवेणी साह, आश्रित संतरा देवी (पत्नी), ग्रा०-मेडड़ा, पो०-डेरवां, कुदरा, जिला-कैमूर (2) स्व. मोति साह, आश्रित पार्वती साह (पत्नी), ग्रा०-मेडड़ा, पो० डेरवा, कुदरा, जिला-कैमूर (3) स्व. राकेश कुमार सिंह, आश्रित आरती कुंअर (पत्नी), ग्रा०- कुढ़नी, पो०-करमहरी, नुआंव, जिला-कैमूर (4) स्व. नारायण साह, संतरा कुअर (पत्नी), वार्ड सं०-22, ग्रा०+पो०+था०-भभूआ, जिला-कैमूर के भुगतान हेतु । |
|    | कुल             | 36 |      | 3600000/-<br>(छत्तीस लाख) |   |

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-2793/वि० दिनांक-04.04.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

06/06/16

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र०सं०-

20

पटना, दिनांक

6.6.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

20

पटना, दिनांक- 6-6-16

ज्ञापक-6/एफ1-309/16 श्र0सं0-

\*स्पीड  
पोस्ट

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/

\*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-150 एवं 157(श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-25.5.16 एवं 1.6.16 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(मो. सचिव)

श्रम आयुक्त, बिहार

06/6/16